123

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : RN-10-1/R-525/1996 विरूद्ध आदेश दिनांक 29-1-1996- पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 405/1982-83 अपील

1- बाल्मीक प्रसाद (मृतक) पुत्र छोटेलाल

बरिस

(अ) श्रीमती सुषमा पटेल पत्नि स्व. बाल्मीम प्रसादश

(ब) वृजेश (स) विपिन कुमार (द) धर्मेन्द्र

(क) राकेश (ख) कमलकांत (ग) अतुलकुमार

2- छोटेलाल पुत्र जगद्देव

3- रामानुज पुत्र कालू उर्फ बुद्धसेन

निवासीगण ग्राम धोपी तहसील सिरमौर जिला रीवा ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- विद्यार्थी पुत्र नन्हा कुर्मी

2- इन्द्रमन पुत्र शिववालक

3- मुस. तेरसी पुत्री महावीर

निवासीगण ग्राम धोपी तहसील सिरमौर जिला रीवा ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 15 - 11 -2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 405/82-83 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-1-1996 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी ,

सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 48/अ-6/1977-78 अपील में पारित प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 5-2-1983 के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 405/82-83 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-1-1996 से अपील इस आधार पर निरस्त कर दी कि प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 405/82-83 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-1-1996 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि भूमि सर्वे क्रमांक 1526 रकबा 1.80, सर्वे क्रमांक1253 रकबा 0.32 एंव 1717 रकबा 0.30 के हिस्सा 1/2 के पटटेदार भूमिस्वामी छददारी पुत्र जवाहर थे। छददारी के एकमात्र पुत्र महावीर थे। छददारी की मृत्यु आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व हुई है। महावीर की एकमात्र पुत्री तेरसी है एंव महावीर की मृत्यु भी लगभग 50 वर्ष पूर्व हो चुकी है। महिला तेरसी से भूमि आवेदकगण ने क्रय की है जिसके आधार पर नायव तहसीलदार सिरमौर ने प्रकरण क्रमांक 38 अ-6/76-77 में पारित आदेश दिनांक 31-1-78 से नामान्तरण किया है, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने आवेदकगण के हुये नामान्तरण को प्रकरण क्रमांक 48 अ-6/77-78 में पारित आदेश दिनांक 5-2-1983 से निरस्त करने में त्रृटि की थी इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अपील योग्य होने से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील की गई थी किन्तु अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 405/82-83 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-1-1996 से प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य न होना मानकर अपील निरस्त करने में भूल की गई है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जावे।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने प्रकरण

क्रमांक 48 अ-6/77-78 में आदेश दिनांक 5-2-1983 पारित किया है जिसके अंतिम पद का उद्धरण इस प्रकार है :-

" उपरोक्त आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है आदेश मूल न्यायालय निरस्त किया जाता है। प्रकरण नायव तहसीलदार गंगेय को इस निर्देश के साथ वापिस किया जाता है कि पैरा 5 में वर्णित बिन्दुओं पर जांच की जाकर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित करें। "

अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के आदेश दिनांक 5-3-1983 में दिये गये उपरोक्त निष्कर्ष से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश (Rimand Order) प्रत्यावर्तन आदेश है और प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्ध अपील अग्राह्य है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष दिनांक 5-3-1983 को अपील प्रस्तुत हुई है एंव प्रथम सुनवाई 7-3-1983 को हुई है इसके वाद निरन्तर 41 पेशियॉ दिनांक 9-1-1996 तक लगी है किन्तु आवेदकगण की ओर से अपील को निगरानी में बदलकर सुने जाने का आवेदन नहीं दिया गया है एंव बहस के दौरान भी यह प्रार्थना नहीं की गई है। प्रकरण का पेटा पूर्ण होने के कारण अपील को निगरानी में बदलकर आदेश पारित करना द्वित्तीय पक्ष को प्रोद्भूत अधिकारों एंव प्राप्त सारवान न्याय से बंचित करना माना जावेगा, जिसके कारण अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने आदेश दिनांक 29-1-1996 से अपील निरस्त की है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि करना परिलक्षित नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 405/82-83 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-1-1996 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर